अनुदान संख्या 73 - योजना मंत्रालय
GRANT No. 73–MINISTRY OF PLANNING

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
				(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**			
स्वीकृत-	Voted–	474,79,00	140,55,73	–334,23,27
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			311,67,50
पूंजीगत:	**Capital:**			
स्वीकृत-	Voted–	44,21,00	16,74,01	–27,46,99
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			29,05,49

टीका और टिप्पणियां

Notes and comments

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

1. In the revenue section of the grant, savings/ excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "3451" सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	Major Head "3451" Secretariat - Economic Services				
मू.	O.	7233.00	7293.29	7111.11	–182.18
पु.	R.	60.29			
मुख्य शीर्ष "2203" तकनीकी शिक्षा	Major Head "2203" Technical Education				
मू.	O.	1500.00	5.00	3.29	–1.71
पु.	R.	–1495.00			

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving–
मुख्य शीर्ष "3425" अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	Major Head "3425" Other Scientific Research				
मू.	O.	200.00	1.00	. .	–1.00
पु.	R.	–199.00			
मुख्य शीर्ष "3454" जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी	Major Head "3454" Census, Surveys and Statistics				
मू.	O.	9279.00	4271.50	1870.68	– 2400.82
पु.	R.	–5007.50			
मुख्य शीर्ष "3475" अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	Major Head "3475" Other General Economic Services				
मू.	O.	10310.00	3902.71	4252.75	+350.04
पु.	R.	– 6407.29			
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	18457.00	828.00	817.90	–10.10
पु.	R.	–17629.00			
मुख्य शीर्ष "3602" संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3602" Grants-in-aid to Union Territory Governments				
मू.	O.	500.00	10.00	. .	–10.00
पु.	R.	–490.00			

(I) 20205.00 लाख रु. का प्रावधान पांच शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से 20200.00 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) मुख्य शीर्ष ''3425'' - ''अन्य - अन्य व्यय - ऊर्जा (अनुसंधान एवं विकास)'' - 200.00 लाख रु.;

(खा) मुख्य शीर्ष ''3475'' - ''अन्य व्यय'' - '' राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर योजना प्रक्रिया को सहायता'' - 2000.00 लाख रु.;

(गा) मुख्य शीर्ष ''3601'' - ''केंद्रीय योजना स्कीमों को अनुदान - अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं - अन्य अनुदान - राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर योजना प्रक्रिया को सहायता'' - 17500.00 लाख रु.; और

(घा) मुख्य शीर्ष ''3602'' - ''केंद्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान - अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं - अन्य अनुदान - राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर योजना प्रक्रिया को सहायता'' - 500.00 लाख रु.।

उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान स्कीमों का प्रचालन न किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष ''3451'' - ''योजना आयोग/योजना बोर्ड - कार्यालय प्रणालियों का आधुनिकीकरण'' के अंतर्गत 434.64 लाख रु. की बचत (1000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केंद्रीय लोक निर्माण विभाग को सौंपी गई कुछ परियोजनाएं पूरी न होने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष ''2203'' - ''अन्य व्यय - सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से कौशल विकास में नई पहल'' के अंतर्गत 1496.71 लाख रु. की बचत (1500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम का प्रचालन न किए जाने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष ''3454'' - ''सर्वेक्षण और सांख्यिकी - विशिष्ट पहचान स्कीम - भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण''

(I) Provision of Rs.20205.00 lakhs remained wholly unutilised under five heads ; of these Rs.20200.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head "3425" – "Others – Other Expenditure – Energy (R&D)" – Rs.200.00 lakhs;

(B) Major Head "3475"–"Other Expenditure – Support to Planning Process at National, State and District Level" – Rs.2000.00 lakhs;

(C) Major Head "3601" – "Grants for Central Plan Schemes – Other General Economic Services - Other Grants – Support to Planning Process at National, State and District Level " – Rs.17500.00 lakhs; and

(D) Major Head "3602" – "Grants for Central Plan Schemes – Other General Economic Services - Other Grants – Support to Planning Process at National, State and District Level" – Rs.500.00 lakhs.

Provisions under the above four heads remained unutilised due to non-operation of the schemes.

(II) Under Major Head "3451" – "Planning Commission/Planning Board - Modernisation of Office Systems" – saving of Rs.434.64 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1000.00 lakhs) was due to non-completion of some of the projects entrusted to Central Public Works Department.

(III) Under Major Head "2203" – "Other Expenditure – New Initiative in Skill Development through PPP" – saving of Rs.1496.71 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1500.00 lakhs) was due to non-operation of the scheme.

(IV) Under Major Head "3454" – "Surveys and Statistics – Unique Identification Scheme –

के अंतर्गत 7408.32 लाख रु. की बचत (9279.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने, सम्मेलन/कार्यशाला को अंतिम रूप न दिए जाने और क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना में विलंब होने के कारण हुई।

Unique Identification Authority of India" – saving of Rs.7408.32 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.9279.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, non-finalisation of conferences/workshops and delay in setting up of Regional Offices.

(V) मुख्य शीर्ष ''3475'' - ''अन्य व्यय के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(V) Under Major Head "3475" – "Other Expenditure" – savings occurred under the following heads:-

(का) ''योजना के 50वें वर्ष की शुरुआत'' - 2086.95 लाख रु. की बचत (3071.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अध्ययन प्रस्ताव कम प्राप्त होने, कम प्रकाशनों का मुद्रण किए जाने और कम सम्मेलन/कार्यशालाएं आयोजित किए जाने के कारण हुई।

(A) "50th Year Initiative for Planning" – saving of Rs.2086.95 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3071.00 lakhs) was due to receipt of less study proposals, printing of less publications and holding of less conference/ workshops.

(खा) ''सरकार में मूल्यांकन क्षमता का सुदृढ़ीकरण'' - 1032.02 लाख रु. की बचत (1200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विभिन्न मूल्यांकन अध्ययन लागू न किए जाने के कारण हुई।

(B) "Strengthening Evaluation Capacity in Government" – saving of Rs.1032.02 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1200.00 lakhs) was due to non-implementation of various evaluation studies.

(गा) ''योजना लेखा और लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली'' - 773.43 लाख रु. की बचत (1307.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पदों को स्वीकृत न किए जाने, प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशालाएं कम आयोजित किए जाने और कुछ प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(C) "Plan Accounting and Public Finance Management System" – saving of Rs.773.43 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1307.00 lakhs) was due to non-sanction of posts, less number of training programmes/workshops and non-finalisation of some proposals.

(VI) मुख्य शीर्ष ''3601'' - ''केंद्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान - अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं - अन्य अनुदान - जीविका संवर्धन नीतियों की सहायता के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम सहायता'' - 139.10 लाख रु. की बचत (180.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सहायता लेखा और लेखापरीक्षा नियंत्रक द्वारा कम दावे निपटाए जाने के कारण हुई।

(VI) Under Major Head "3601" – "Grants for Central Plan Schemes – Other General Economic Services - Other Grants – UNDP Assistance for Support to Livelihood Promotion Strategies" – saving of Rs.139.10 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.180.00 lakhs) was due to settlement of less claims by Controller of Aid Account and Audit.

(VII) दो शीर्षों के अंतर्गत 132.13 लाख रु. की बचत हुई जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक और स्वीकृत प्रावधान का 24 प्रतिशत और 44 प्रतिशत थी।

(VII) Under two heads savings of Rs.132.13 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs and constituting 24 percent and 44 percent of the sanctioned provision.

2. उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष "3451" - "योजना आयोग/योजना बोर्ड - मुख्यालय" के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं - 426.21 लाख रु. का अधिक व्यय (5399.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) छठे केंद्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू किए जाने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

2. The above savings were partly offset by excess under Major Head "3451" – "Planning Commission/Planning Board – Headquarters" – excess of Rs.426.21 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.5399.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards implementation of Sixth Central Pay Commission Report.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, अभ्यर्पित राशि (2905.49 लाख रु.) 2746.99 लाख रु. की समग्र बचत से अधिक हुई।

3. In the capital section of the grant, the amount surrendered (Rs.2905.49 lakhs) exceeded the overall savings of Rs.2746.99 lakhs.

बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं:-

Savings occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+
मुख्य शीर्ष "5475" अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "5475" Capital Outlay on Other General Economic Services				
मू.	O.	4421.00	1515.51	1674.01	+158.50
पु.	R.	–2905.49			

(I) "सांख्यिकी - भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण" के अंतर्गत 2025.31 लाख रु. की बचत (2721.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(I) Under "Statistics – Unique Identification Authority of India" – saving of Rs.2025.31 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2721.00 lakhs); and

(II) "अन्य व्यय" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(II) Under "Other Expenditure" – savings occurred under the following heads:-

(का) "कार्यालय प्रणालियों का आधुनिकीकरण" - 382.48 लाख रु. की बचत (1300.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(A) "Modernisation of Office Systems" – saving of Rs.382.48 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1300.00 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें कुछ परियोजनाओं के पूरा न होने और मशीनरी एवं उपस्करों की अधिप्राप्ति संबंधी प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुईं।

Savings under the above two heads were due to non-completion of some projects and non-finalisation of proposals for procurement of machinery and equipments.

(खा) ''योजना लेखा तथा लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली'' - 339.20 लाख रु. की बचत (400.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यालय/कंप्यूटर उपस्कर की अधिप्राप्ति संबंधी प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(B) "Plan Accounting and Public Finance Management System" – saving of Rs.339.20 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.400.00 lakhs) was due to non-finalisation of proposals for procurement of office/computer equipments.